## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः— 67/2017/अपील**

हरलाल उर्फ हरदयाल पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी बुजियानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2016 अनुवानी सरकार बनाम हरलाल मु0नं0 34/2016 द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़**

वकील अपीलांट श्री सागर मल धायल

**निर्णय** दिनांकः—07.05.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 किस्म गै.मु. रास्ता सरकारी भूमि है व अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 2.78 हैक्टर तन ग्राम बुजियानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित है। पटवारी हल्का व दूसरे हल्के के गिरदावरी ने मिलकर अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ के यहां शिकायत की, कि अपीलांट ने रास्ते की भूमि के 0.03 हैक्टर पर डोल लगाकर अतिक्रमण कर लिया, जिस पर तहसीलदार महोदय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस दिया व समुचित जबाब व साक्ष्य का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का व स्वतंत्र गवाहान के बयान लिए बिना एवं मौका देखे बिना तथा अपीलांट के खेत की नपति किए बिना ही अपना निर्णय दिनांक 30.09.2016 विरूद्ध कानून पारित कर दिया। अपीलांट खेत खसरा नम्बर 103 रकबा 2.78 हैक्टर तन ग्राम बुजियानाऊ का सह कृषक है व अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट की भूमि के रास्ते की तरफ काफी भूमि छोड़कर पूर्वजो के समय से ही मिट्टी की डोल लगी हुई है जिस पर काफी बड़े—बड़े पुराने पेड़ पौधे लगे हुए है व घास उगी हुई है व अपीलांट ने डोल के उपरी सिरे पर तारबंदी भी पशुओं की रक्षा के लिए कर रखी है। अपीलांट के कभी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है बल्कि अपीलांट के विपरीत दिशा का रास्ते का पड़ौसी काश्तकार ने पुख्ता निर्माण कर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा है। अपीलांट व अपीलांट के भाईयों का रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है न ही पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की भूमि पर कितना फुट या मीटर अतिक्रमण है अंकित किया है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट का विवादित रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व न तो पटवारी हल्का ने बयान लिए न कोई स्वतंत्र गवाहान के ही बयान लिए न ही अपीलांट को उनसे जिरह का मौका दिया। अपीलांट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका नही दिया जो प्राकृतिक न्याय व न्याय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि योग्य अधिनस्थ यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में 0.03 है0 किस्म गै.मु.रास्ते की भूमि पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है, परन्तु अतिक्रमण किस स्थान पर किया गया है इस सम्बंध में कोई निशानदेही अंकित नहीं की गई है एवं सीमाज्ञान किये बिना ही चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा मौके की स्थिति की जांच किए बिना ही एवं बिना सीमाज्ञान किए बिना ही बेदखल करने हेतु अपना निर्णय दिनांक 30.09.2016 पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके पर अतिक्रमण के सम्बंध में सीमाज्ञान किया जाये और सीमाज्ञान उपरान्त अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार पुनः विधिवत प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official